समाचार.प्रकाषनार्थरू.

## भवन निर्माण अनुमति हेतु नजूल की एनओसी अनिवार्य

रतलाम 10 दिसम्बर । मध्यप्रदेष भूमि विकास नियम 2012 व नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में भवन निर्माण हेतु नजूल विभाग की अनापत्ति ;एनओसीद्ध प्राप्त किये जाने के उपरांत ही नगर निगम द्वारा भवन निर्माण अनुमति नियमानुसार प्रदान की जावेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि रतलाम नगरीय क्षेत्र में रतलाम विकास प्राधिकरणए मध्यप्रदेष गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल रतलाम की कालोनियां तथा नगर तथा ग्राम निवेष विभाग रतलाम से स्वीकृतध्अनुमोदित कालोनियों को छोड़कर नगर के सभी स्थानों पर सभी प्रकार की भवन निर्माण अनुमति हेतु नजूल विभाग की अनापत्ति ;एनओसीद्ध को अनिवार्य किया गया है तद् उपरान्त ही नगर निगम द्वारा भवन निर्माण अनुमति नियमानुसार प्रदान की जावेगी। नागरिक भवन निर्माण अनुमति हेतु नजूल विभाग की अनापत्ति ;एनओसीद्ध प्राप्त करें।

## माही विहार व योगी विहार को मुख्य पेयजल पाईप लाईन से जोड़ा

रतलाम 10 दिसम्बर । विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप व कलेक्टर तथा निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार रतलाम विकास प्राधिकरण की माही विहार व योगी विहार कालोनी के नागरिकों पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषन मंे कालोनी की पाईप लाईन को मुख्य पेयजल पाईप लाईन से जोड़ने का कार्य पूर्ण किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि रतलाम विकास प्राधिकरण की उक्त दोनो कालोनी के नागरिकों को धोलावाड़ का मीठा पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देषानुसार कालोनी की पाईप लाईन को मुख्य पाईप लाईन से जोड़ा जा

चुका है रहवासियों द्वारा नल कनेक्षन लिये जाने पर पेयजल की सप्लाय प्रारंभ की जावेगी।

**आज नेषनल लोक अदालत का आयोजन**
**संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राषि जमा करने पर अधिभार ;सरचार्जद्ध की राषि में छूट**
**बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राषि**
रतलाम 10 दिसम्बर । राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य षासन के निर्देषानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट देने हेतु आज 11 दिसम्बर 2021 षनिवार को नेषनल लोक अदालत के तहत बकाया राषि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में षिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।
आयोजित नेषनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजारद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् ;रूपये दस हजारद्ध तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजारद्ध से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000ध् से अधिक तथा रूपये 50ए000ध् तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाखद्ध से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000ध् से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार ;व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदजद्ध ही दी जायेगी। यह छूट वर्श 2020.21 तक की बकाया राषि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र आज दिनांक 11ध्12ध्2021 की नेषनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।
नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि आज 11 दिसम्बर 2021 षनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित षिविर में उपस्थित होकर बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार ;सरचार्जद्ध में छूट का लाभ उठावें।

**खुले में गंदगी करने पर 29 व्यक्तियों पर जुर्माना**
**मास्क नहीं लगाने पर 81 व्यक्तियों पर जुर्माना**
**नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें**
**गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें**

रतलाम 10 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 10 दिसम्बर को 29 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार खुले में गंदगी करने पर निलेष डाट की पुल पर 200ए अजहर अली सागोद रोडए जितेन्द्र बाजना बस स्टैण्डए संतोश किरानाए पृथ्वीराज जावरा रोडए सुभाशए प्रदीप मालवीयए पंकजए नदीमए स्टेषन रोडए सुनील महू रोडए समरथमल मित्र निवास रोड पर 100.100ए अनिल.रमेषए सोनू सागोद रोडए राजेषए किषोरए संदीप पाटीदार बाजना बस स्टैण्डए धर्मेन्द्र अमृत सागरए प्रदीप डाट की पुलए रमेषए कालूए विज्जूए जावरा रोडए महेन्द्र स्टेषन रोडए आकाषए पाण्डेजीए विजय महू रोडए षिवनारायणए विकासए सिद्धार्थ कुमार मित्र निवास रोड व विश्णु बैरागी पोलोग्राउण्ड पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।
इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 81 व्यक्तियों पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंह मोण नंण 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण नंण 7471144931ए श्री किरण चौहान मोण्नंण 7471144932ए श्री विनय चौहान मोण्नंण 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मोण्नंण 7000128812ए आकाष षिन्दे मोण्नंण 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मोण्नंण 6268449110ए राकेष ललावत मोण्नंण 7000128812 को देकर नगर को साफ.स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

6070 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 10 दिसम्बर । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 10 दिसम्बर षुक्रवार तक 6070 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 60 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंषन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवष्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

10 दिसम्बर को 83 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 10 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 10 दिसम्बर षुक्रवार को 83 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

10 दिसम्बर षुक्रवार को डम्पर से 36845ए टेªक्टर से 9755ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 18755 व काम्पेक्टर गीला कचरा 18550 किलो इस तरह कुल 83905 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2529 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 79 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 10 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2399 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 130 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 76 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 10 दिसम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री

सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

**नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें**

रतलाम 10 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

**गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही**

रतलाम 10 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

## वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध10ण्12ण्2021ध्नण्पाण्निगमए रतलामण